# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1745/2017**

श्रीमती श्वेता गोस्वामी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती कुसुमलता पत्नि श्री बसन्त कुमार गोस्वामी, कृष्ण वाटिका बी–40, अग्रसेन नगर, चूरू।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 20.12.2017

**आदेश की दिनांक** : 06.09.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : –

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि भविष्य में अपीलार्थी को अवैध व अनुचित नोटिस नहीं किया जावे और न ही सेवाओं को समाप्त किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृत्तक राज्य कर्मचारी के आश्रितों के कोटे में अनुकंपात्मक नियुक्ति हुई थी

और आदेश दिनांक 06.05.2008 द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर की गई थी और अपीलार्थी कार्यालय सहायक अभियंता जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजगढ़, चूरू में कार्यरत है। अपीलार्थी का विवाह अंतरजातीय मोहसिन परवेश से हुआ। अपीलार्थी के दो बच्चे हैं। अपीलार्थी ने अपनी माता की बिना सहमति के विवाह किया है। अपीलार्थी बालिग है और वह अपनी मर्जी से किसी से भी विवाह कर सकती है। अपीलार्थी की माता उसके विवाह से नाखुश होने के कारण प्रत्यर्थीगण से अनुचित शिकायत की और निवेदन किया कि अपीलार्थी परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण नहीं कर रही है। इसलिये उसकी सेवाओं को समाप्त किया जावे। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 14.09.2016 को स्पष्टीकरण पत्र दिया। उसका जवाब दिनांक 16.09.2016 को अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया और कथन किया कि परिवार की आवश्यकतानुसार जब से अनुकम्पा नियुक्ति हुई है, उनका निरंतर भरण पोषण कर रही हूँ। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.03.2017 को पुनः पत्र दिया गया, जिसका विस्तृत जवाब भी दिया गया। उनका कथन है कि अगर किसी भी प्रकार की भरण–पोषण हेतु आपत्ति है तो वह नियमानुसार सक्षम न्यायालय में जाकर उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार मांग कर सकता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत है और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि भविष्य में अपीलार्थी को अवैध व अनुचित नोटिस नहीं किया जावे और न ही सेवाओं को समाप्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब का प्रस्तुत कर यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के द्वारा विवाह की सूचना विभाग को नही दी गई और उसने दूसरे धर्म में विवाह कर लिया है, जिसके पहले से ही दो संताने थीं। अपीलार्थी की मां ने विवाह के संबंध में कोई शिकायत नहीं की, केवल भरण–पोषण की मांग की है, जो नियमानुसार सही है। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत लोन का हवाला दिया है, जो उसने खुद लिया है और उसे ही भरना पडेगा। इससे मृत्तक परिवार के आश्रित का कोई लेना देना नहीं है। अपीलार्थी का यह कहना है कि

रूपये 3000/– में अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही है, जो गलत है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र देकर यह वचन दिया है कि वह नियुक्ति मिलने पर अपनी मां, बहन और भाई का भरण–पोषण करेगी अथवा मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जावे और अपीलार्थी को नियुक्ति इसी शर्त पर दी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी अपने कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकती। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृत्तक राज्य कर्मचारी के आश्रितों के कोटे में अनुकंपात्मक नियुक्ति हुई थी और आदेश दिनांक 06.05.2008 द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर की गई थी और अपीलार्थी कार्यालय सहायक अभियंता जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजगढ़, चूरू में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक अधिकरण द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2017 प्रभावी रहेगा और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**